न्यायालय–शरद जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नौगांव, जिला–छतरपुर म.प्र.

Registration no.841/2022
Filling no. 1295/2022
CNR no.MP1607001628-2022
Filling date-07-10-2022

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना नौगांव,
जिला छतरपुर म0प्र0 ....अभियोजन

// विरूद्ध //

1– राजेश उर्फ राजवीर कुशवाहा, उम्र 31 वर्ष,
पुत्र गोपाल कुशवाहा,
निवासी–ग्राम भाटीपुरा थाना–महाराजपुर,
जिला छतरपुर म0प्र0

2– प्रीतम राजपूत, उम्र 23 वर्ष,
पुत्र ग्यासीलाल राजपूत,
निवासी–ग्राम पन्नपुरा,
थाना–नौगांव, जिला–छतरपुर म0प्र0 ....अभियुक्तगण

पुलिस थाना नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 के अपराध क्र. 125/2022 अपराध अंतर्गत धारा 379 भा0दं0सं0 1860 से उद्भुत प्रकरण।

म0प्र0 राज्य द्वारा	एडीपीओ।
अभियुक्तगण द्वारा	श्री हेमंत पाठक, सुश्री वंदना सक्सेना अधिवक्ता।

// निर्णय //
(आज दिनांक 29.04.2023 को घोषित)

1– अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 379 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 22.02.2022 से 07.03.2022 के मध्य स्थान ग्राम माधौपुर स्थित फरियादी पंचू पाल के रहवासी घर की खिड़की अंतर्गत थाना नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 में फरियादी के रिहायसी मकान की खिड़की पर रखे फरियादी के आधिपत्य के सोने के जेवर बेईमानीपूर्वक उसकी सम्मति के बिना हटाकर चोरी कारित की।

2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2022 को दोपहर करीब 2 बजे फरियादी ने एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक हाफ पेटी चांदी की, एक सादा बिच्छुआ, दो जोड़ चांदी की पायले अपनी खिड़की के बाहर रखकर भूल गया था तथा ताला लगाकर अपने काम से रिस्तेदारी में चला गया था, दिनांक 07.03.2022 को फरियादी घर वापस आया तो देखा फरियादी का सामान वहां नहीं था, कोई अज्ञात चोर सामान चोरी कर ले गया था। घटना के संबंध में फरियादी द्वारा लिखित आवेदन प्र.पी.1 थाना नौगांव में दिए जाने पर थाना नौगांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2 लेखबद्ध कराई थी, जिस पर से अपराध क्र. 125/2022 में अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी.3 बनाया गया एवं संबंधित साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तगण के मेमोरेंडम कथन प्र.पी.6, 7 लेखबद्ध किये गये एवं जप्ती तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक बनाए गए तथा जप्त सामग्री की शिनाख्ती की कार्यवाही कर शिनाख्ती पत्रक प्र.पी.4 बनाया गया। प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 173(2) दं0प्र0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर से न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। धारा 207 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण को अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेज की प्रतियां दी गयी।

3— निर्णय की कण्डिका क्रमांक 1 के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया और अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं. प्र.सं. के दौरान अभियुक्तगण द्वारा झूंठा फसाया जाना व्यक्त किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

4— <u>(साक्षियों की सूची : अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन)</u>

<u>सूची (क) अभियोजन</u>

PW	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	पंचू पाल	लिखित आवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा मौका, शिनाख्ती मेमो, कथन धारा—161 द0प्र0सं0
2	परमलाल पाल	नक्शा मौका, कथन धारा—161 द0प्र0सं0
3	गजेन्द्र अहिरवार	कथन धारा—161 द0प्र0सं0
4	गनेश पाल	कथन धारा—161 द0प्र0सं0
5	रामरति पाल	कथन धारा—161 द0प्र0सं0
6	अनिल पाठक	मेमोरेंडम, जप्ती, गिरफ्तारी पत्रक
7	श्यामसुंदर	पहचान पंचनामा
8	सीताराम	प्रथम सूचना रिपोर्ट

9	रामकुमार मिश्रा	सम्पूर्ण विवेचना

सूची (ख) प्रतिरक्षा

DW	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक	निरंक	निरंक

सूची (ग) न्यायालयीन

CW	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक	निरंक	निरंक

5— (प्रदर्शों की सूची : अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन)

सूची (क) अभियोजन

कमॉक	प्रदर्श कमॉक	दस्तावेज का विवरण
1	प्रदर्श पी—1 लगायत 4 / पंचू पाल अ.सा.1	लिखित आवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा मौका, शिनाख्ती मेमो
2	प्रदर्श पी—5 / परमलाल पाल अ.सा.2	कथन धारा—161 द0प्र0सं0
3	प्रदर्श पी—6, 7, 8 / गजेन्द अ.सा.3	मेमोरेंडम, जप्ती पत्रक
4	प्रदर्श पी—9 / गनेश पाल अ.सा.4	कथन धारा—161 द0प्र0सं0
5	प्रदर्श पी—10 / रामरति अ.सा.5	कथन धारा—161 द0प्र0सं0

सूची (ख) प्रतिरक्षा

कमॉक	प्रदर्श कमॉक	दस्तावेज का विवरण
1	प्रदर्श डी—1 / पंचू पाल अ.सा.1	कथन धारा 161 द0प्र0सं0

सूची (ग) न्यायालयीन

कमॉक	प्रदर्श कमॉक	दस्तावेज का विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

सूची (घ) आवश्यक वस्तुएं

कमॉक	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	चांदी की हाफपेटी	आर्टीकल ए—1
2	सोने की झुमकी	आर्टीकल ए—2, 3

6— प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न है:—

— क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.02.2022 से 07.03.2022 के मध्य स्थान ग्राम माधौपुर स्थित फरियादी पंचू पाल के रहवासी घर की खिड़की अंतर्गत थाना नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 में फरियादी के रिहायसी मकान की खिड़की पर रखे फरियादी के आधिपत्य के सोने के जेवर बेईमानीपूर्वक उसकी सम्मति के बिना हटाकर चोरी कारित की ?

//सकारण विनिश्चय//

7— चोरी के तथ्य के संबंध में फरियादी पंचू पाल अ.सा.1 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण राजेश उर्फ राजवीर तथा प्रीतम राजपूत को नहीं पहचानता है, घटना उसके न्यायालयीन कथन दिनांक 30.11.2022 से लगभग 06 माह पहले की ग्राम माधवपुर स्थित उसके घर की है, वह और उसकी पत्नी रामरति पाल मजदूरी करने नौगांव आए थे, जब वे लोग नौगांव से वापस 6 बजे अपने घर पहुंचे तो देखा कि घर के बक्से बगैरह के ताले टूटे हुए थे, दो बजे उसकी बच्ची सपना पाल स्कूल से लंच में घर पर आई थी, तब उसने घर के ताले टूटे हुए देखे थे, लेकिन डर के कारण गांव में किसी व्यक्ति को नहीं बताया था, घर में रखी सोने की झुमकी और चांदी की हाफ पेटी चोरी हो गए थे, जिसके बाद वह थाना नौगांव रिपोर्ट कराने गया था, उसके द्वारा थाने में दिया गया आवेदन प्र.पी.1 है। पुलिस ने मौके पर जाकर घटना स्थल देखा था, जहां पर टूटे ताले पड़े हुए थे तथा घटना स्थल पर लिखा पढ़ी कर हस्ताक्षर करवाए थे। उसका चोरी गया सामान सोनी के यहां से पकड़ा गया था, सामान के संबंध में और कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने आवेदन प्र.पी.1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2, नक्शा मौका प्र.पी.3, शिनाख्ती मेमो प्र.पी.4 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। अभियोजन द्वारा सुझाव दिए जाने के पश्चात साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि रेस्ट हाउस नौगांव में पार्षद श्याम सुंदर अरजरिया के सामने चोरी गए सामान के संबंध में कार्यवाही हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि मिलाए गए सामान में से उसने अपना सामान पहचान लिया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस समय शिनाख्ती कार्यवाही हो रही थी, उस समय कोई भी पुलिस वाला उपस्थित नहीं था।

8— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके घर में जिस दिन चोरी हुई थी उसके दूसरे दिन वह थाने पर रिपोर्ट करने गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह चोरी होने के 10 दिन बाद थाने रिपोर्ट करने गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि जिस दिन उसके घर चोरी हुई थी, उस समय वह अपनी रिश्तेदारी में गया था। उसने अपने पुलिस कथन प्र.डी.1 में ''दिनांक 22.02. 2022.......................को जब'' लेख नहीं कराया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.पी.1, प्र.पी.2 एवं प्र.पी.3, प्र.पी.4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि समस्त हस्ताक्षर अलग—अलग है। साक्षी ने स्वतः कहा वह कम पढ़ा लिखा है, कभी—कभी लिखता है, इसलिए हस्ताक्षर में भिन्नता आ जाती है। साक्षी ने इस

सुझाव से इंकार किया है कि प्र.पी.1, 2, 3, 4 के कुछ दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं कुछ दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर अन्य किसी के पुलिस द्वारा बनवाए गए हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि प्र.पी.3 के नक्शा मौका की कार्यवाही मौके पर नहीं की थी। शिनाख्ती पत्रक प्र.पी.4 पर उसने पार्षद जी के घर पर हस्ताक्षर किए थे। पार्षदजी के घर पर ही पुलिस वाले सामान लेकर आए थे, वह सामान उसका ही था तो उसने पहचान लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके घर कोई चोरी नहीं हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह पार्षदजी के घर कोई सामान पहचानने नहीं गया था। साक्षी ने स्वतः कहा पार्षद जी के घर पर ही सामान आ गया था, वहीं पर उसने सामान देखा था।

9– रामरति अ.सा.4 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन दिनांक 30.11.2022 से पिछले साल की फाल्गुन माह की है। वह और उसके पति नौगांव आए थे, घर पर उसकी लड़की सपना थी। सपना स्कूल चली गई थी। जब सपना स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि घर के ताले टूटे हुए थे, सपना डर के कारण घर के बाहर बैठ गई थी, जब वे लोग शाम को 6 बजे घर पहुंचे तो उसने और उसके पति ने घर के अंदर जाकर देखा तो घर का सामान फैला पड़ा था, घर में रखी उसकी एक जोड़ी सोने की झुमकी एक चांदी की हाफपेटी, चांदी का बिछुआ, दो जोड़ी चांदी की पायल चोरी हो गई थी। फिर उन लोगों ने 100 नंबर पर फोन किया था। मौके पर पुलिस आ गई थी, उसके बाद थाना जाकर रिपोर्ट लेख कराई थी। पुलिस रिपोर्ट लिखने के दो दिन बाद आई थी और कह रहे थे कि कार्यवाही कर रहे हैं। साक्षी को थाने से सीलबंद माल खोलकर दिखाए जाने पर साक्षी ने हाफपेटी और सोने की झुमकी को अपना होना बताया है तथा व्यक्त किया है कि उक्त सामान चोरी हुआ था। एक चांदी की हाफपेटी आर्टीकल ए–1, एक जोड़ी सोने की झुमकी आर्टीकल ए–2, ए–3 हैं। साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने पर अभियोजन द्वारा सुझाव दिए जाने के पश्चात साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब उसका सामान मिला था, तब पुलिस वाले उसके पास आए थे और उसे सामान दिखाने के लिए थाने लिवा ले गए थे। उसने थाने पर अपना सामान देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि रेस्ट हाउस सामान पहचान करने के लिए गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि श्याम सुंदर अरजरिया ने सामान की उससे कोई पहचान नहीं कराई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसका कोई सामान चोरी नहीं गया था।

10– परमलाल अ.सा.2 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्तगण राजेश उर्फ राजवीर तथा प्रीतम राजपूत को नहीं पहचानता है, फरियादी पंचू पाल उसका भाई है। घटना उसके न्यायालयीन कथन दिनांक 30.11.2022 से पहले फरवरी माह की दिन के 12–1 बजे के लगभग की ग्राम माधवपुर स्थित पंचू पाल के घर की है, पंचू पाल के घर पर चोरी हो गई थी, जिसमें चांदी की हाफपेटी, सोने की झुमकी चोरी हो गई थी, जब वह शाम को नौगांव से लौटकर घर पहुंचा था, तब पंचू की लड़की सपना ने

चोरी के बारे में बताया था, तब उन लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा था, घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था, उसके बाद उन लोगों ने थाने पर फोन लगवाया था। साक्षी ने नक्शा मौका प्र.पी.3 पर हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। अभियोजन द्वारा सुझाव दिए जाने के पश्चात साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सोने की झुमकी और चांदी की हाफ पेटी के साथ एक सादा बिछुआ और दो जोड़ी चांदी की पायलें भी गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने व्यक्त किया है कि जिस दिन उसके भाई के घर चोरी हुई थी, उसी दिन रात को थाने पर चोरी की रिपोर्ट की गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके भाई के घर में कोई चोरी नहीं हुई थी।

11— गजेन्द्र अ.सा.3 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह उपजेल नौगांव से व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त राजेश कुशवाहा को जानता है, घटना माह अगस्त 2022 की है, वह ग्राम लुगासी ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में पुलिया के पास में उसे पुलिस मिली थी और पुलिस ने उससे कहा था कि अभियुक्तगण चोर हैं जिनसे चोरी के सोने—चांदी के आभूषण जप्त करना है, पूंछताछ में अभियुक्तगण ने बताया था कि माधवपुर से उसने सोने—चांदी के आभूषण चोरी किये थे उसमें से कुछ आभूषणों को बेचकर उसका पैसा खर्च कर दिया है तथा कुछ आभूषण महाराजपुर में हार में रख दिये हैं, उक्त हार अभियुक्त राजेश कुशवाहा का था, पुलिस उसे महाराजपुर में राजेश कुशवाहा के हार में ले गई थी जहां से पुलिस ने सोने—चांदी के आभूषण जप्त किये थे। साक्षी ने मेमोरेण्डम प्र.पी.6, 7 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.8 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन द्वारा सुझाव दिए जाने के पश्चात साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि जो राजपूत उसने बताया था उसका नाम प्रीतम सिंह राजपूत था या नहीं। साक्षी ने स्वतः कहा कि गिरफ्तारी पत्रक पर उसने जो फोटो बताई है वही व्यक्ति था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजेश द्वारा हरई हार से अपने घर से निकालकर एक जोड़ी सोने की झुमकी और एक चांदी की हाफपेटी निकालकर पुलिस को दी थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने उक्त सामान जप्त कर लिखा—पढी की थी।

12— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने व्यक्त किया है अभियुक्त प्रीतम राजपूत एवं राजेश पुलिस की कस्टडी में थे जिसे पुलिस लुगासी रोड पर पुलिया के पास खड़ा किये थे। उस समय लगभग 01:30 बजे का समय था। पुलिस ने उसके जिन कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे उनमें गनेश पाल के हस्ताक्षर भी कराये थे उसके सामने और किसी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी—7 एवं प्रदर्श पी—8 पर उसके हस्ताक्षर हैं परंतु उसके साथ गनेश पाल के हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि जिन कागजों पर उसके एवं गनेश के हस्ताक्षर कराये थे वह कागज पुलिस ने पेश नहीं किये हैं। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे, उसके मात्र कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस ने अभियुक्त प्रीतम राजपूत से उसके सामने कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने फिर कहा कि प्रीतम ने पुलिस को उसके सामने यह बताया था कि सोने—चांदी के जेवर राजेश कुशवाहा

के हार में रखे हैं। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रीतम ने प्रदर्श पी–7 के मेमोरेण्डम के अनुसार किसी भी संपत्ति को जप्त कराने के संबंध में उसके सामने पुलिस को कोई कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके सामने अभियुक्त प्रीतम से कोई संपत्ति जप्त नहीं की गई थी। पुलिस वाले के साथ वह, राजेश, राजपूत लडका तथा 3–4 पुलिस वाले गये थे। वह पुलिया के पास से अभियुक्त राजेश के घर जाने का निश्चित समय नहीं बता सकता। उसने राजेश को पुलिस वालों को यह बोलते हुए सुना था कि उसकी व राजपूत लड़के की 8 महीने पहले दोस्ती हुई थी और दोनों का मकसद था कि दोनों लोग चोरी करेंगे और सभी सामान राजेश कुशवाहा के हार में छिपायेंगे और बताया था कि माधवपुर से उन लोगों ने चोरी की थी और हार में माल छिपाकर रखा है। पुलिस ने उसी समय उससे एक कागज पर हस्ताक्षर कराये थे और पुलिस ने यह बताया था कि चोरी का मामला है हस्ताक्षर कर दो। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि महाराजपुर में राजेश का कोई हार नहीं है। राजेश के घर में कितने कमरे हैं वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसके घर में एक टपरा बना था और भूसा रखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त राजेश ने अपने घ ार से कोई सामान निकालकर पुलिस को नहीं दिया था। उसे पता नहीं है कि जो सामान पुलिस ने लिया था उसे सील किया था या नहीं। पुलिस जप्तशुदा सामान को एक डिब्बे में रखकर थाने ले गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त राजेश ने उसके समक्ष पुलिस को मैमोरेण्डम प्रदर्श पी–6 के अनुसार कोई कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त राजेश ने उसके समक्ष प्रदर्श पी–8 के अनुसार पुलिस को कोई सामान जप्त नहीं कराया था।

13– गनेश अ.सा.4 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह फरियादी पंचू पाल को पहचानता है, घटना उसके न्यायालयीन कथन दिनांक 24.12.2022 से लगभग 6 महीने पहले की है, वह अपने खेत से आ रहा था तभी मंदिर के पास ग्राम माधवपुर में भीड़ इकट्ठा थी तभी वहीं पास में फरियादी पंचू पाल के मकान के पास सभी लोग कह रहे थे कि पंचू पाल के मकान में चोरी हो गई है। साक्षी ने नक्शा मौका प्र.पी.3 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है, अभियोजन द्वारा सुझाव दिए जाने के पश्चात भी साक्षीने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि चोरी के कितने दिन बाद पुलिस ने उसे बुलाया था। उसे यह जानकारी नहीं है कि फरियादी पंचू के यहां चोरी कब हुई थी। उसे यह भी पता नहीं है कि फरियादी पंचू का क्या सामान चोरी हो गया था और कौन ले गया था।

14– साक्षी अनिल पाल अ.सा.6 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा सुझाव दिए जाने के पश्चात भी साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

15— श्याम सुंदर अरजरिया अ.सा.7 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 16.08.2022 को नगर पालिका परिषद नौगांव के वार्ड नंबर 7 का पार्षद था, उक्त दिनांक को थाना नौगांव के अपराध क्र. 125/22 से संबंधित माल की शिनाख्ती की कार्यवाही रेस्ट हाउस में कराई थी, जिसमें साक्षीगण पंचू पाल, रामरति ने अपने सोने चांदी के सामान को हांथ रखकर सही रूप से उसके सामने पहचान की थी। साक्षी ने पहचान पंचनामा प्र.पी.4 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने व्यक्त किया है कि सामान पुलिस वाले लेकर आए थे, जिनको सामान की पहचान करनी थी, उन्हें भी पुलिस लेकर आई थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने सामान फरियादीगण को दिखाया था तो उन्होंने पहचान कर ली थी तो उसने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पहचान पंचनामा प्र. पी.4 पुलिस वाले पहले से भरकर लाए थे, उसने हस्ताक्षर किए थे।

16— सीताराम अहिरवार अ.सा.8 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह वह दिनांक 07.03.2022 को थाना नौगांव में कार्यवाहक एएसआई के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को फरियादी पंचू पाल द्वारा चोरी के संबंध में एक लिखित आवेदन प्र.पी.1 का दिया गया था, जिसके आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2 लेखबद्ध की गई थी। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी द्वारा घटना के दूसरे दिन थाने पर रिपोर्ट लेख कराई गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं 2 में यह बताया था कि जब वह बाजार से लौटकर आया तो घर के ताले टूटे पड़े थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं 2 में ब से ब की इवारत लेख नहीं कराई थी, उसने अपने मन से लेख की थी।

17— रामकुमार मिश्रा अ.सा.9 ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 08.03.2022 को कार्यवाहक एएसआई के पद पर थाना नौगांव में पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसे अपराध क्र.125/22 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। दौरान विवेचना फरियादी की निशानदेही पर साक्षीगण के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया था तथा फरियादी पंचू पाल, श्रीमति रामरति, परमलाल, गणेश पाल के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे तथा थाना नौगांव के अपराध क्र. 0414/22 के अभियुक्त प्रीतम राजपूत का उक्त अपराध क्रमांक में दिए गए मेमोरेंडम को अपराध क्र. 125/22 में सुमार किया था, जिसकी छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है तथा अभियुक्त प्रीतम को थाना नौगांव के अपराध क्र. 125/22 में पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूंछतांछ करने पर उसने बताया था कि ''उसने पैसों की जरूरत होने से घटना में प्राप्त 2 जोड़ चांदी की पायले व एक बिछुआ चांदी का अपरिचित व्यक्ति को 7000/—रूपए में बेंच दिया था, जिससे उन्हें 3500—3500/—रूपए मिले थे जो मैंने खर्च कर दिए हैं, शेष एक जोड़ झुमकी व एक चांदी की हाफ पेटी राजेश कुशवाहा के हरई हार में बने घर में राजेश रखे हुए है'' उक्त अभियुक्त का उसके द्वारा साक्षीगण के समक्ष लेखबद्ध किया गया मेमोरेंडम प्र.पी.7 है।

अभियुक्त राजेश को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूंछतांछ करने पर उसने बताया था कि ''एक चांदी का बिछुआ व दो जोड़ चांदी की पायले 7000/–रूपए में एक अपरिचित व्यक्ति को बेच दिया था, सोने की झुमकी व चांदी की हाफ पेटी अपने घर में छिपा कर रखी है, चलो चलकर बरामद कराए देता हूँ'' अभियुक्त का साक्षीगण के समक्ष मेमोरेंडम प्र.पी.6 लेखबद्ध किया गया था। अभियुक्त राजेश ने हर्रई वाले हार में बने अपने घर महाराजपुर से एक जोड़ सोने जैसी धातु की कानों की झुमकी वजन करीब 4.50 ग्राम तथा एक चांदी जैसी धातु की हाफपेटी वजन करीब 101 ग्राम उसे साक्षीगण के समक्ष जप्त करायी थी। उसके द्वारा अपराध क्र. 414/22 में अभियुक्तगण प्रीतम सिंह, राजेश कुशवाहा के संबंध में तैयार किए गए गिरफ्तारी पत्रक को इस प्रकरण में संलग्न करते हुए सुमार गिरफ्तारी की थी। मामले में जप्तशुदा माल की शिनाख्ती कराई गई थी। जप्तशुदा सामग्री को साक्षी ने देखकर बताया कि एक जोड़ झुमकी और हाफपेटी अभियुक्त राजेश से जप्त की गई थी। हाफपेटी आर्टीकल ए–1 है तथा एक जोड़ झुमकी आर्टीकल ए–2, ए–3 है। साक्षी ने नक्शा मौका प्र.पी.3, अभियुक्त प्रीतम का मेमोरेंडम कथन प्र.पी.7, अभियुक्त राजेश का मेमोरेंडम कथन प्र.पी.6, जप्ती पत्रक प्र.पी.8 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है।

18– प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि साक्षी पंचू पाल ने उसे पुलिस कथन प्र.डी.1 में ''दिनांक .... को जब'' लेख नहीं कराया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि साक्षी पंचू पाल ने अपने पुलिस कथन प्र.डी.1 में बताया था कि जब वह बाजार से लौटकर आया तो घर के ताले टूटे पड़े थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा प्र.पी.4 की कार्यवाही पार्षद श्यामसुंदर अरजरिया के घर पर सम्पन्न कराई गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि साक्षी परमलाल ने उसे पुलिस कथन प्र.पी.5 का अंश ए से ए भाग ''दिनांक .... नहीं मिला'' का कथन लेख नहीं कराया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि साक्षी गजेन्द्र अहिरवार के समक्ष अभियुक्त राजेश ने उसे प्र.पी.6 के अनुसार कोई मेमोरेंडम कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि कार्यवाही हेतु किस सान्हा नंबर पर रवानगी दर्ज कर रवाना हुआ था एवं वापसी पश्चात किस सान्हा नंबर पर वापसी दर्ज की थी, वह नहीं बता सकता है। राजेश के घर में जिस समय वह पहुंचा था, उस समय 2–3 लोग थे, इसके अलावा राजेश के घर में और कितने लोग रहते हैं, वह नहीं बता सकता है। राजेश के घर में 2 कमरे बने थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त राजेश ने प्र.पी.8 के अनुसार साक्षीगण के समक्ष मेमोरेंडम के अनुसार कोई सामान जप्त नहीं कराया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि राजेश का खेत खुला हुआ स्थान है, जहां कोई भी आ जा सकता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि शिनाख्ती कार्यवाही के समय वह एवं अन्य पुलिस वाले उपस्थित थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि साक्षी अनिल पाठक के समक्ष उसने प्र.पी.6, 7, 8 की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त राजेश ने उसे मेमोरेंडम प्र.पी.6, प्रीतम का मेमोरेंडम कथन प्र.पी.7 का कोई कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.8 में जप्तशुदा सामान को मौके पर सीलबंद करने का उल्लेख नहीं है न ही सील नमूना अंकित है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जप्ती स्थान अभियुक्त राजेश का हार है, इस संबंध में उसके द्वारा किसी भी साक्षी से

कोई पूंछतांछ नहीं की गई न ही कोई दस्तावेज प्राप्त कर संलग्न किया है। साक्षी ने स्वतः कहा कि अभियुक्त राजेश ने स्वयं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त प्रीतम ने उसे साक्षीगण के समक्ष प्र.पी.7 के अनुसार कोई मेमोरेंडम कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में आने के कारण झूंठा प्रकरण तैयार कर साक्षीगण के हस्ताक्षर कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

19— चोरी के तथ्य के संबंध में फरियादी पंचू पाल (अ.सा.1) के अनुसार घटना के समय वह अपनी पत्नी रामरति के साथ मजदूरी करने नौगांव आया था, जब वह वापस अपने घर ग्राम माधवपुर पहुंचा, तब बक्से के ताले टूटे हुए थे, जिसमें रखी सोने की झुमकी व चांदी की हाफपेटी चोरी हो गई थी। साक्षी ने आवेदन प्र.पी.1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2, नक्शा मौका प्र.पी.3 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। रामरति अ.सा.5 ने फरियादी पंचू पाल के कथनों का समर्थन किया है। परमलाल अ.सा.2 ने भी फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए व्यक्त किया है कि घटना के समय उसके भाई पंचू पाल के घर से एक चांदी की हाफपेटी और सोने की झुमकी चोरी हो गई थी। सीताराम अहिरवार अ.सा.8 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07.03.2022 को फरियादी पंचू पाल के बताए अनुसार लेखबद्ध की गई है। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। यद्यपि फरियादी पंचू पाल अ.सा.1, रामरति अ.सा.5 के कथनों में चोरी होने के तथ्य के संबंध में विरोधाभास आया है।

20— पंचूपाल अ.सा.1 के अनुसार घटना के समय वह मजदूरी करने अपनी पत्नी के साथ नौगांव गया था, जब वापस आया, तब घर के बक्से के ताले टूटे हुए थे। इसी प्रकार का कथन फरियादी की पत्नी रामरति अ.सा.5 का भी है। फरियादी पंचू पाल द्वारा चोरी के संबंध में थाने में दिए गए आवेदन प्र.पी.1 के अनुसार वह दिनांक 22.02.2022 को एक सोने की झुमकी, एक चांदी की हाफपेटी, एक सादा बिछियां, दो जोड़ी चांदी की पायल तौलिया में रखकर घर की खिड़की के बाहर घर से जाते समय ताला लगाने के दौरान भूल गया था। जब वह दिनांक 07.03.2022 को वापस आया, तब उसे चोरी होने का ज्ञान हुआ था। न्यायलयीन कथन में साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है। साक्षी घटना के समय नौगांव मजदूरी करने जाना व्यक्त करता है और शाम 6 बजे वापस आने पर उसे चोरी हो जाने के बारे में ज्ञान हुआ है। साक्षी यह भी व्यक्त करता है कि जिस दिन चोरी हुई थी, उसके दूसरे दिन वह थाने में रिपोर्ट करने गया था। ऐसे में प्रकरण के फरियादी के कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि साक्षी अपने घर में चोरी होना व्यक्त करता है। जहां तक इस विरोधाभास का प्रश्न है कि चोरी जब वह मजदूरी करने गया था, तब हुई थी या अपने रिश्तेदार के यहां जाते समय जेवर घर की खिड़की पर रखकर भूल जाने से हुई थी, महत्वहीन हो जाता है। उक्त विरोधाभास से फरियादी की सम्पत्ति चोरी नहीं हुई, इस तथ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। बचाव पक्ष ने भी प्रतिपरीक्षण में फरियादी की सम्पत्ति के चोरी होने के तथ्य को सारभूत चुनौती नहीं दी है। इस प्रकार यह तथ्य स्थापित है कि फरियादी पंचूपाल की सोने की झुमकी, चांदी की हाफपेटी, चांदी का बिछुआ, दो जोड़ी चांदी की पायल की चोरी हुई थी।

21— अब यह निर्धारित किया जाना होगा कि अभियुक्तगण की निशानदेही से प्रकरण में चोरी हुआ सामान बरामद हुआ। विचारणीय प्रश्न के संबंध में अन्वेषणकर्ता अधिकारी रामकुमार तिवारी अ.सा.9 ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त प्रीतम राजपूत से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेमोरेंडम प्र.पी.7 तैयार किया गया है, जिसमें अभियुक्त प्रीतम द्वारा अन्य अभियुक्त राजेश के साथ मिलकर फरियादी पंचू पाल के घर की खिड़की से एक पुटरिया उठाना व्यक्त किया है। अभियुक्त प्रीतम के अनुसार दो जोड़ चांदी की पायल व एक बिछुआ बेच दिया था, जिससे उन्हें 3500/—रूपए प्राप्त हुए थे जो खर्च दिए थे, शेष एक जोड़ी झुमकी व एक चांदी की हाफपेटी अभियुक्त राजेश के घर में रखे हैं। अभियुक्त प्रीतम से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभियुक्त राजेश को अभिरक्षा में लेकर पूंछतांछ कर बनाए गए मेमोरेंडम प्र.पी.6 अनुसार अभियुक्त राजेश ने सोने की झुमकी और चांदी की हाफपेटी अपने घर में छिपाकर रखना व्यक्त किया है, जिसके पश्चात अभियुक्त राजेश द्वारा हरई हार में बने घर से निकालकर पेश करने पर एक जोड़ चांदी जैसी धातु की कानों की झुमकी और एक अदद चांदी जैसी धातु की हाफपेटी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.8 तैयार किया था।

22— अभियोजन मामले के अनुसार ही किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण को चोरी करते हुये नहीं देखा है, प्रकरण में सहअभियुक्त प्रीतम के द्वारा दिये गये मेमो अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.7 के आधार पर प्रकट जानकारी के आधार पर अभियुक्त राजेश उर्फ राजवीर के विरूद्ध कार्यवाही की गयी थी।

23— मेमोरेंडम प्र.पी.6, 7 जप्ती पत्रक प्र.पी.8 के स्वतंत्र साक्षी गजेन्द्र अहिरवार अ. सा.3 ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन अखंडित रहे हैं। न्यायालयीन कथन के दौरान साक्षी ने व्ही.सी. के माध्यम से अभियुक्त राजेश को और गिरफ्तारी पत्रक में लगी अभियुक्त प्रीतम की फोटो को देखकर व्यक्त किया है कि अभियुक्त राजेश द्वारा अपने घर से निकालकर एक जोड़ी सोने की झुमकी और एक चांदी की हाफपेटी पुलिस को दी थी। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जप्तशुदा सामान को मौके पर सीलबंद नहीं किया गया था, इसलिए अभियुक्तगण से की गई जप्ती की कार्यवाही दूषित है। जप्तीकर्ता/अन्वेषणकर्ता अधिकारी रामकुमार मिश्रा अ.सा. 9 ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जप्तशुदा सामान को मौके पर सीलबंद करने का कोई उल्लेख जप्ती पत्रक प्र.पी.8 में नहीं है। जप्ती कार्यवाही के प्रत्य क्षदर्शी साक्षी गजेन्द्र अ.सा.3 ने भी प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि पुलिस ने जो सामान जप्त किया था, उसे सीलबंद किया गया था या नहीं। बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति के संबंध में जप्ती पत्रक प्र.पी.8 के कॉलम नंबर 13 में सील नमूना का कॉलम निरंक है। स्पष्ट है कि अभियुक्त राजेश से जप्त सामान को सीलबंद नहीं किया गया है। फरियादी की पत्नी रामरति अ.सा.5 न्यायालयीन कथन के दौरान अभियुक्त राजेश से जप्त एक जोड़ी सोने की झुमकी और चांदी की हाफपेटी देखकर अपनी होना व्यक्त किया है। ऐसे में भले ही अभियुक्त से जप्त सामान को घटना स्थल पर सीलबंद नहीं किया गया, तब इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियुक्त पक्ष पर पड़ता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अभियुक्त से जप्त सामग्री की पहचान न्यायालय के समक्ष फरियादी की पत्नी रामरति द्वारा

की गई है। जप्तीकर्ता अधिकारी रामकुमार मिश्रा अ.सा.9 और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गजेन्द्र अ.सा.3 के कथनों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं आया है, जो जप्ती की कार्यवाही को प्रभावित करता हो, इसलिए उक्त तर्क का बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24— अब यह निर्धारित किया जाना होगा कि अभियुक्त राजेश उर्फ राजवीर के आधिपत्य से बरामद एक जोड़ी सोने की झुमकी और चांदी की हाफपेटी वही हैं जो फरियादी के आधिपत्य से घटना दिनांक, समय, स्थान पर चोरी हुई थीं। विचारणीय प्रश्न के संबंध में श्यामसुंदर अ.सा.7 ने शिनाख्ती की कार्यवाही को प्रमाणित किया है। साक्षी ने व्यक्त किया है कि फरियादी पंचू पाल, रामरति के द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही के दौरान अपने सामान की पहचान की थी। साक्षी ने शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.4 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। शिनाख्ती पत्रक प्र.पी.4 के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादी पंचू पाल और उसकी पत्नी रामरति ने प्रकरण में अभियुक्त राजेश से जप्त एक जोड़ी सोने की झुमकी और चांदी की हाफपेटी को शिनाख्ती कार्यवाही के दौरान पहचाना है। रामरति अ.सा.5 के कथन प्रतिपरीक्षण में खंडित रहे हैं। साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह अपना सामान पहचानने के लिए रेस्टहाउस नौगांव गई थी। साक्षी के अनुसार पुलिस वाले उसके पास आए थे और उसे सामान दिखाने के लिए थाने ले गए थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसका कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। प्रकरण के फरियादी पंचू पाल अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि शिनाख्ती पत्रक प्र.पी.4 पर उसने पार्षद के घर पर हस्ताक्षर किए थे। पार्षद के घर पर ही पुलिस वाले सामान लेकर आए थे, वह सामान उसका ही था तो उसने पहचान लिया था। शिनाख्ती कार्यवाही कराने वाले साक्षी श्यामसुंदर अ.सा.7 ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि पुलिस वालों ने सामान फरियादीगण को दिखाया था तो उन्होंने पहचान कर ली थी। शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.4 पुलिस वाले पहले से भरकर लाए थे, उसने हस्ताक्षर किए थे।

25— यहां यह उल्लेखनीय होगा कि पहचान कार्यवाही के दौरान फरियादी पंचू पाल और उसकी पत्नी रामरति द्वारा अपना सामान पहचाना गया था। स्पष्ट है कि पहचान कार्यवाही नौगांव रेस्ट हाउस में हुई थी या पार्षद के घर इस संबंध में फरियादी पंचू और उसकी पत्नी रामरति के कथनों में विरोधाभास है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि जप्तशुदा सामान थाना में सीलबंद अवस्था में लाकर न्यायालय के समक्ष खोलकर दिखाने पर रामरति ने उक्त सामान को अपना होना व्यक्त किया है, जो चोरी हुआ था। ऐसे में शिनाख्ती कार्यवाही के दूषित होने से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान हुई शिनाख्ती कार्यवाही प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय समक्ष हुई शिनाख्ती कार्यवाही अन्वेषण के दौरान हुई शिनाख्ती कार्यवाही पर अधिभावी है। न्यायदृष्टांत **ऐरा भद्ररप्पा विरूद्ध कर्नाटक राज्य एआईआर 1983 एस.सी. 446** के निर्णय के पैरा 12 में यह प्रतिपादित किया है कि यह एक सामान्य ज्ञान का विषय है कि महिलाओं में उनके व्यक्तिगत सामान को विशेषकर परिवार में व्यक्तिगत उपयोग की चीजें पहचानने का अद्भुद सेंस होता है। ऐसे में जो वस्तुएं फरियादी की पत्नी रामरति द्वारा न्यायालय में पहचानी गई थी, उसके संबंध में पहचान कार्यवाही के दौरान उत्पन्न विरोधाभासों से पहचान कार्यवाही दूषित नहीं होती है,

क्योंकि अभियुक्त से जप्त गहने एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक चांदी की हाफपेटी महिलाओं के दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, इसलिए सामान्य मानवीय स्वभाव को पहचान कार्यवाही से अत्यधिक महत्व देना न्यायोचित होगा।

26– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में अभियुक्त प्रीतम से कोई भी सामग्री जप्त नहीं की गई है, इसलिए अभियुक्त प्रीतम दोषमुक्त किए जाने का पात्र है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त प्रीतम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त राजेश के विरूद्ध कार्यवाही की गई है और अभियुक्त राजेश से प्रकरण में चोरी गई सम्पत्ति जप्त की गई है। ऐसे में भले ही अभियुक्त प्रीतम से चोरी की सम्पत्ति जप्त नहीं की गई है, किन्तु अभियुक्त प्रीतम को इस तथ्य का ज्ञान था कि चोरी की गई सम्पत्ति अभियुक्त राजेश के आधिपत्य में है। ऐसे में इस संबंध में उपधारणा करने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त प्रीतम ने अभियुक्त राजेश के साथ चोरी कारित की थी। तभी उसके ज्ञान में यह तथ्य था कि चोरी किया गया माल अभियुक्त राजेश के आधिपत्य में है। अभियुक्त प्रीतम के पास उक्त उपधारणा को खंडित करने का भार था कि वह न्यायालय को अवगत कराता कि अभियुक्त राजेश के आधिपत्य में चुराई गई सम्पत्ति है, उक्त तथ्य का ज्ञान उसको किस प्रकार हुआ। अतः उक्त उपधारणा का खंडन अभियुक्त के द्वारा नहीं किया गया है। अतः बचाव पक्ष को उक्त तर्क का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

27– बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जिस स्थान से अभियुक्त राजेश से सम्पत्ति जप्त की गई, वह स्थान अभियुक्त राजेश का था, इस संबंध में अभियोजन की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति के संबंध में यह अवलोकनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त राजेश से प्राप्त जानकारी के आधार पर फरियादी की चोरी गई सम्पत्ति जप्त की गई है। यदि तर्क के लिए यह माना भी जाए कि अभियुक्त राजेश ने जिस स्थान से चोरी का सामान पुलिस को जप्त कराया था, वह उसके स्वामित्व का नहीं था, तब भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि चोरी की गई सम्पत्ति किस विशिष्ट स्थान पर रखी है, इसका ज्ञान अभियुक्त राजेश को था और अभियुक्त राजेश के द्वारा ही उक्त सम्पत्ति जप्त कराई गई है। ऐसे में उक्त सुझाव का बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

28– अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गयी चोरी के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है कि जो वस्तुए फरियादी की चोरी हुई थी। वे अभियुक्त प्रीतम से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभियुक्त राजेश से जप्त की गयी और अभियुक्त द्वारा उन वस्तुओं के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। धारा 114ए साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपधारणा करने के पर्याप्त आधार है कि जिस स्थान से वस्तुएं बरामद हुई, उस स्थान का ज्ञान अभियुक्तगण को इसलिए था कि उसने स्वयं वे वस्तुएं वहीं रखी थी या उसने किसी को वस्तुएं उस स्थान पर रखते हुए

देखा था या उसे किसी ने बतलाया था कि वस्तुएं उस स्थान पर रखी हुई हैं। अभियुक्तगण द्वारा न तो यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि उसने जप्त वस्तुएं विशिष्ट स्थान पर किसी व्यक्ति को रखते देखा या उसे किसी ने बतलाया कि जप्त वस्तुएं उस स्थान पर रखी हुई हैं, तब न्यायालय यह उपधारित कर सकता है कि अभियुक्तगण ने ही चोरी कर वस्तुएं उस स्थान पर रखी है, जहां से उसकी जानकारी के अनुसार वस्तुएं जप्त की गई है। क्योंकि विशिष्ट तथ्य कि वस्तुएं कहां रखी हैं, इस तथ्य का ज्ञान अभियुक्त को ही था। उक्त के संबंध में न्यायदृष्टांत **महाराष्ट् राज्य विरूद्ध सुरेश 2000 1 एस.सी.सी. 471** अवलोकनीय है। अभियुक्त राजेश के आधिपत्य से चुराई हुई सम्पत्ति जप्त की गई है, अभियुक्त राजेश ने आधिपत्य का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध चोरी के अपराध की उपधारणा की जा रही है। ऐसे में विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

29— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 22.02.2022 से 07.03.2022 के मध्य स्थान ग्राम माधौपुर स्थित फरियादी पंचू पाल के रहवासी घर की खिड़की अंतर्गत थाना नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 में फरियादी के रिहायसी मकान में रखे फरियादी के आधिपत्य के सोने के जेवर बेईमानीपूर्वक उसकी सम्मति के बिना हटाकर चोरी कारित की। अतः **अभियुक्तगण प्रीतम राजपूत एवं राजेश उर्फ राजवीर कुशवाहा को भा0द0सं0 की धारा 379** के अंतर्गत अपराध के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है।

30— अभियुक्त प्रीतम को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त के जमानत एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त राजेश उर्फ राजवीर पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

31— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता हैं।

नौगांव
दिनांकः—29.04.2023

शरद जायसवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नौगांव, जिला—छतरपुर म0प्र0

पुनश्चः—

32— अभियुक्त पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध होने को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं।

प्रकरण के तथ्य और अभियुक्तगण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निवारक प्रकृति के दंडादेश से दंडित किया जाना आवश्यक है। भा0दं0सं0 की धारा 379 के तहत अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता हैः–

अभियुक्त	आहत	धारा	कारावास सश्रम	अर्थदण्ड राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
प्रीतम राजपूत	पंचू पाल	379 भा0दं0सं0	02 वर्ष	500 / –रूपये	01 माह
राजेश उर्फ राजवीर कुशवाहा	पंचू पाल	379 भा0दं0सं0	02 वर्ष	500 / –रूपये	01 माह

33– अभियुक्तगण पर अधिरोपित अर्थदण्ड राशि में से 400–400 / – रूपये (कुल 800 / –रूपए) की राशि दं0प्र0सं0 की धारा 357 के अंतर्गत फरियादी पंचू पाल पुत्र छोटेलाल पाल निवासी ग्राम माधवपुर थाना नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 को प्रतिकर राशि के रूप में अपील अवधि अवसान उपरांत प्रदान की जाये, परंतु अपील की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

34– प्रकरण में जप्तशुदा एक जोडी सोने जैसी धातु की कानों की झुमकी वजन करीब 4.50 ग्राम एवं एक चांदी जेसी धातु की हाफपेटी वजन करीब 101 ग्राम अपील अवधि पश्चात उसके वैध स्वामी को वापस किए जावें अथवा अपील होने पर मान्नीय

35– अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि के संबंध में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर लिखा गया।

स्थानः– नौगांव
दिनांकः– 29.04.2023

सही / –
(शरद जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
नौगॉव, जिला छतरपुर म0प्र0

सही / –
(शरद जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0

SHARAD JAISWAL
Digitally signed by SHARAD JAISWAL
Date: 2023.04.29 17:00:22 +05'30'